न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 85 / 2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, मैसर्स हरिऔम किराणा स्टोर, केशवनगर, पुष्कर।
2. मैसर्स हरिऔम किराणा स्टोर, केशवनगर, पुष्कर।
3. श्री मंगलचन्द्र पुत्र श्री हरचन्द्र खटीक, मैसर्स सांखला स्टेशनरी एण्ड जनरल स्टोर, खटीक मन्दिर के नीचे, पुष्कर।
4. मैसर्स सांखला स्टेशनरी एण्ड जनरल स्टोर, खटीक मन्दिर के नीचे, पुष्कर।
5. श्री प्रकाश मनकानी पुत्र श्री नरेन्द्र मनकानी, मैसर्स एस.एस.डी.एन. एन्टरप्राईजेज, ए–239, खेल मैदान, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर।
6. मैसर्स एस.एस.डी.एन. एन्टरप्राईजेज, ए–239, खेल मैदान, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर।
7. श्री अमित सोनी पुत्र श्री चेतन लाल सोनी, मैसर्स श्रीराम एग्रो एक्सपोर्ट, जी–1, 221, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर–342012
8. मैसर्स श्रीराम एग्रो एक्सपोर्ट, जी–1, 221, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर–342012

9- Sh. Mahesh Katara S/o Bherusingh, M/S Aakash Global Foods Pvt. Ltd. Unit-II, Survey No. 13/1/5, 16/2, 17/4, Village Kumedi, Tehsil Sanver, Indore-453551

10-M/S Aakash Global Foods Pvt. Ltd. Unit-II, Survey No. 13/1/5, 16/2, 17/4, Village Kumedi, Tehsil Sanver, Indore-453551

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :

1– श्री दीपक शर्मा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
2– श्री अमरसिंह राठौड़, अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 08.01.2020

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड नमकीन (आकाश ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.11.2016 को 03.00 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स हरिओम किराणा स्टोर, केशवनगर, पुष्कर पर पहूँचे श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी, जाति माली मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को नमकीन (आकाश ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान वहां काउण्टर पर 350–350 ग्राम वजनी 10 थैलियां पैक अवस्था में नमकीन (आकाश ब्राण्ड) की रखी हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान नमकीन (आकाश ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु वजन के 4 पैकेट (350 ग्राम X 4) नमकीन (आकाश ब्राण्ड) पैक अवस्था में वास्ते नमूना जॉच हेतु 300/– रूपये श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा नमकीन (आकाश ब्राण्ड) के प्रत्येक पैकेट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1506 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षंर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/15 दिनांक 02.01.2017 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस. /759/एक्ट/2016/809 दिनांक 07.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में ली गई नमकीन (आकाश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पायी गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 13.09.2017 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 13.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 9 व 10 जरिये वकील उपस्थित हुये किन्तु उनके द्वारा जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यदि जांच में नमकीन (आकाश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाई गई है, इसमें अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की गलती या बदनियति नहीं है। मुझसे त्रुटि अज्ञानतावश हुई है एवं भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय की गयी नमकीन (आकाश ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पायी गयी, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी को रुपये 8000/– (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 08.01.2020 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2020.02.17 16:42:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: